

कार्यालय-अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ /2018, लखनऊ, दिनांक: 21 मार्च-2018

-:: आदेश:-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह-अप्रैल-2018 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है :-

क्र०सं	बैठने का स्थान	कार्य आवंटन	कार्य- अवधि
1	पीठ-1, आगरा	पीठ-1 व 2 आगरा	02.04.18 से 06.04.18
2	पीठ-1, इलाहाबाद	पीठ-1 व 2 इलाहाबाद	09.04.18 से 13.04.18
3	पीठ- बरेली	पीठ- बरेली	09.04.18 से 11.04.18
4	पीठ-1, गाजियाबाद	पीठ-1 व 2 गाजियाबाद	02.04.18 से 06.04.18
5	पीठ- गोरखपुर	पीठ- गोरखपुर	09.04.18 से 13.04.18
6	पीठ- झांसी	पीठ- झांसी	16.04.18 से 20.04.18
7	पीठ-1, कानपुर	पीठ-1, 2, 3 व 4 कानपुर	02.04.18 से 06.04.18
8	पीठ-1, लखनऊ	पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ	16.04.18 से 20.04.18
9	पीठ- फैजाबाद	पीठ- फैजाबाद	25.04.18 से 27.04.18
10	पीठ-1, मेरठ	पीठ-1 व 2 मेरठ	16.04.18 से 20.04.18
11	पीठ- मुरादाबाद	पीठ- मुरादाबाद	02.04.18 से 06.04.18
12	पीठ- मुजफ्फरनगर	पीठ- मुजफ्फरनगर	23.04.18 से 25.04.18
13	पीठ-1, नोएडा	पीठ-1 व 2 नोएडा	09.04.18 से 13.04.18
14	पीठ- 1, वाराणसी	पीठ-1, 2, 3, 4, 5 व 6 वाराणसी	23.04.18 से 27.04.18

६०

(राजेन्द्र कुमार -IV)

एच.जे.एस

अध्यक्ष, वाणिज्यकर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन: वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/526/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 3-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से

प्रभारी निबन्धक
वाणिज्यकर अधिकरण
उत्तर प्रदेश लखनऊ।